मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 11679 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 14/12/11

डाक विभाग के साथ हुई अकुशल श्रम भुगतान की समीक्षा विषयक बैठक का कार्रवाई विवरण एवं फॉलोअप प्रतिवेदन

दिनांक 25.11.2011 को डाक विभाग के साथ हुई अकुशल श्रम भुगतान की समीक्षा विषयक बैठक हुई।

इसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुए –

1. श्री बृजेश कुमार, अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. श्री आर.पी. गुप्ता, निदेशक डाक सेवाएं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भोपाल।
3. श्री पी.के. धाकड़ निदेशक, डाक तार लेखा कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भोपाल।
4. डॉ. राजीव सक्सेना, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल।
5. श्री मालवीय वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय निदेशक डाक सेवाएं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भोपाल।

निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई –

1. डाक विभाग के साथ हुए एमओयू के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में पुनः नियमित बैठकें परिषद् एवं डाक विभाग के मध्य संपादित की जायेंगी। इससे परिषद् एवं डाक विभाग के अधिकारी सहमत हुए।
2. अग्रिम के रूप में डाक विभाग में जमा राशि का पत्रक डाक विभाग के अधिकारी उपलब्ध कराया गया। अग्रिम राशि का सत्यापन डाक विभाग भी उनके स्तर पर कर ले एवं परिषद् को अवगत करावे। पत्रक पुनः संलग्न है। डाक विभाग जिलेवार इसका परीक्षण कर अग्रिम जमा की स्थिति से परिषद् को तत्काल अवगत कराऐं।
3. पोस्ट ऑफिस नॉन मायकर चैक्स को निर्गमित न करे ताकि मजदूरी भुगतान में विलम्ब रोका जा सके।
4. निदेशक डाक सेवाओं ने परिषद् के अधिकारी को आश्वस्त किया की डाक विभाग से संबंधी अकुशल श्रम भुगतान के प्रकरण को उनके समक्ष यदि लाया जाता है तो शीघ्र ही नियमानुसार निराकरण किया जायेगा।

निरंतर...........2

5. विधान सभा प्रश्न 2505 जिसमें की बालाघाट जिले की जनपद बिरसा, बहियर एवं परसवाड़ा में डाक विभाग स्तर पर लंबित भुगतान की सूचना के संदर्भ में निदेशक डाक सेवा में संबंधित प्रवर अधीक्षक बालाघाट को समस्त जानकारी तत्काल देने हेतु निर्देशित किया। प्रवर अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त जानकारी के पत्र दिनांक L-6 119/NREGS/SUPN बालाघाट दिनांक 26.11.2011 पत्र की प्रति संलग्न द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्पष्ट हुआ की परसवाड़ा एवं बिरसा जनपद पंचायत से संबंधित भुगतान में डाक खाने के स्तर पर विलम्ब हुआ। डाक विभाग इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार के विलम्ब न हो। इस संदर्भ में डाक विभाग से अनुरोध है कि वे एमओयू के अंतर्गत संबंधित जिलों में जहां पर की डाक विभाग के पास अग्रिम राशि जमा है एवं जिन जिलों में हितग्राहियेां का भुगतान होता है के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार स्पेसिफिक प्रकरण जहां पर की जिले को समय सीमा में कार्रवाई करनी है एवं जिले स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है परिषद् को अवगत कराए ताकि जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भी स्पष्ट निर्देश दिये जा सके।

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्रमांक/ 11680 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 14/12/11

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमण्डल कार्यालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभव भवन मंत्रालय भोपाल।
4. निदेशक डाक सेवाएं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमण्डल कार्यालय भोपाल।
5. श्री बृजेश कुमार अपर सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जिले म.प्र. की ओर भेजकर अनुरोध है कि अकुशल श्रम भुगतान से संबंधित डाक विभाग के साथ यदि किसी विशिष्ट प्रकार के प्रकरणों में परिषद् का हस्तक्षेप आवश्यक हो तो तत्काल 19 दिसम्बर 2011 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाते हुए उसकी प्रति निदेशक डाक सेवाओं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमण्डल भोपाल को भेजना सुनिश्चित करें। डाक विभाग के साथ हुए एमओयू के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप यदि कार्रवाई अपेक्षित हो तो कार्रवाई सुनिश्चित करें।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्